



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022022-233713
CG-DL-E-24022022-233713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 807]
No. 807]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2022
सं. 55 / 2015—2020

विषय : आईटीसी (एचएस) 2022 अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 85 के आईटीसी (एचएस) 8524 और 8525 के तहत मदों की आयात नीति में संशोधन।

का.आ. 836(अ).—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 85 के आईटीसी (एचएस) 8524 और 8525 के तहत मदों की आयात नीति को निम्नानुसार संशोधन करती है:-

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति
85241100	—लिविड क्रिस्टल के	प्रतिबंधित	मुक्त
85241200	—ऑप्टिकल लाइट-एमिटिंग डायोड (ओएलईडी) के	प्रतिबंधित	मुक्त
85241900	—अन्य	प्रतिबंधित	मुक्त
85249100	—लिविड क्रिस्टल के	प्रतिबंधित	मुक्त
85249200	—ऑप्टिकल लाइट-एमिटिंग डायोड (ओएलईडी) के	प्रतिबंधित	मुक्त

85249900	—अन्य	प्रतिबंधित	मुक्त
85258900	—अन्य	प्रतिबंधित	मुक्त

2. **अधिसूचना का प्रभाव:** आईटीसी (एचएस) 8524 और आईटीसी (एचएस) 85258900 की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से 'प्रतिबंधित' से संशोधित करके 'मुक्त' किया जाता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/27/एएम-21/पीसी-2 [क]/ई-30106]

संतोष कुमार सांरंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2022

No. 55/2015-2020

Subject: Amendment in import policy of items under ITC(HS) 8524 and 8525 of Chapter 85 of ITC(HS) 2022, Schedule – I (Import Policy)

S.O. 836(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time-to-time, the Central Government hereby amends the import policy of items under ITC(HS) 8524 and 8525 of Chapter 85 of ITC(HS) 2022, Schedule – I (Import Policy) as follows -

ITC(HS) Code	Item Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy
8524 11 00	-- Of liquid crystals	Restricted	Free
8524 12 00	-- Of organic light-emitting diodes (OLED)	Restricted	Free
8524 19 00	-- Other	Restricted	Free
8524 91 00	-- Of liquid crystals	Restricted	Free
8524 92 00	-- Of organic light-emitting diodes (OLED)	Restricted	Free
8524 99 00	-- Other	Restricted	Free
8525 89 00	-- Other	Restricted	Free

2. Effect of the Notification: Import policy of ITC(HS) 8524 and ITC(HS) 8525 89 00 is revised from 'Restricted' to 'Free' with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/27/AM-21/PC-2[A]/E-30106]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.